IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

D.B.Civil Writ Petition (PIL) No.2009/2014

Gau Raksha Dal Seva Samiti Rajasthan V/s The State of Raj. & ors.

Date of Order::- 4.5.2015

PRESENT

HON'BLE CHIEF JUSTICE MR.SUNIL AMBWANI
HON'BLE MR.JUSTICE BANWARI LAL SHARMA

Mr.Kuldeep Mathur)
Mr.Lokesh Mathur)-for the petitioner.

Dr.P.S.Bhati, Addl.Advocate General)
Mr.Kamal Dave)-for the respondents.

ORDER

(Reportable) BY THE COURT **(Per Hon'ble Sunil Ambwani, Chief Justice)**

1. We have heard learned counsel for the petitioner and learned Additional Advocate General.

2. In this writ petition filed by Gau Raksha Dal Seva Samiti Rajasthan through its General Secretary Shri Pradeep Singh Rathore, various directions have been sought for enforcement of the provisions of the **Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960** and the Rules framed thereunder, more importantly the **Transport of Animals Rules, 1978** (for short, "the Act of 1978"), the **Rajasthan Bovine Animal (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Act, 1995** (for short, "the Act of

1995") and the Rules made thereunder and the **Rajasthan State Cattle Fairs Act, 1963** (for short, "the Act of 1963").

3. The petitioner has prayed for the following reliefs:-

"**<u>10. Relief(s) prayed for:</u>**

It is, therefore most respectfully prayed that:

(A) By an appropriate writ, order or direction, the respondents may be directed to ensure that ***no bovine animal is sold or purchased in any cattle fair which is not regulated*** and provided under the Rajasthan State Cattle Fair Act 1963 and the Rajasthan State Cattle Fair Rules 1963.

(B) By an appropriate writ, order or direction, the respondents may be directed to ***completely prohibit holding of any local cattle fairs by any local authorities*** which is not provided and regulated under the Rajasthan State Cattle Fair Act 1963 and the Rajasthan State Cattle Fair Rules 1963.

(C) By an appropriate writ, order or direction the respondents may be directed to take steps to form special task force at border areas of Rajasthan State for ***ensuring that no smuggling of bovine animals takes place on foot*** by persons of nomadic tribes.

(D) By an appropriate writ, order or direction, it may be directed that ***no person shall be entitled to purchase any bovine animal in the state who does not fulfills the criteria of an agriculturist*** and for such identification proper guidelines be framed.

(E) By an appropriate writ, order or direction the respondents be directed to ***frame guidelines for establishment of Gram Raksha Dal's and also establish Cattle Pounds (Kanji House)*** as provided under the Panchayati Raj Rules, 1996 by inviting greater participation of the animal activists.

(F) By an appropriate writ, order or direction the respondents may be directed to ***take necessary steps for formation and establishment of societies for prevention of cruelty to animals*** in accordance with the Prevention of Cruelty to A**nimals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of**

> **Cruelty to Animals) Rules, 2001**.
>
> (G) By an appropriate writ, order or direction the respondents may be directed to ***make necessary amendments in the Rajasthan Bovine Animal (Prohibition of Slaughter and Regulations of Temporary Migration or Export) Act, 1995 and Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 for providing a right of hearing to the animal activists*** in the cases involving violation of their provisions.
>
> (H) Any other relief, which this Hon'ble Court considers appropriate may be passed in the facts and circumstances of the case."

4. With the help of the records, which have been made available to the petitioner by various Gram Panchayats as well as the information received under the RTI Act, it has been *prima facie* established before us that the State Government is not ensuring the compliance of the aforesaid Acts and the Rules, for the purposes of protection of animals including bovine cattle and that the serviceable as well as unserviceable cattle including bovine cattle are being taken out of the State, either for the purposes of agricultural or for slaughtering, without any effective regulation.

5. The first direction sought by the petitioner is for the enforcement of the provisions of the Act of 1995, which essentially provides for prohibition of slaughter of bovine animals and for that purpose, it also provides for prohibition of possession, sale or transport of beef or beef products in any form; prohibition of export of bovine animals for the purposes

of slaughter; and regulation of temporary migration or export thereof for other purposes.

6. The **Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rules, 2001** (for short, "the Rules of 2001") provides for "Animal Welfare Organization", which is registered under the Societies Registration Act of 1860 or any other corresponding law. Under Rule 3 of the Rules of 2001, every State Government is required to establish, as soon as may be and in any event within six months from the date of commencement of these Rules i.e. 26th March, 2001, a Society for every district in the State to be the SPCA in that district, provided that any society for prevention of cruelty to animals functioning in any district on the date of commencement of these Rules, shall continue to discharge its functions till establishment of the SPCA. The Society is required to supervise and assist the State Government, for enforcement of the provisions of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 and the Rules made thereunder including the Transport of Animals Rules, 1978.

7. We are informed that the State Government is in complete default of the provisions of Rule 3 of the Rules of 2001 and has not formed any Society for prevention of cruelty to animals.

8. Considering the non-compliance of the Rules of 2001, we direct the State Government to constitute the Society for prevention of cruelty to animals in each district of the State within a period of three months and until the constitution of the Society, the petitioner or any other activist with bonafide credentials will be registered by the District Magistrate in the concerned district for carrying out the functions of the Society for prevention of cruelty to animals. They will aid and assist the District Magistrate in enforcing the provisions of the aforesaid Acts and the Rules. Since the petitioner has brought sufficient material and data and its credential have not been doubted, it will be registered in the district Churu by the District Magistrate, to function as activist for prevention of cruelty to animals, within a week.

9. For the purpose of transportation of animals, we direct the State Government to strictly enforce and carry out the provisions of the Transport of Animals Rules, 1978. The Rules of 1978 notify the approximate weight of animal in kilogram and space required in Square Metres for being transported in railway wagon and goods vehicle. Rule 56 of the Rules of 1978 provides for transportation of cattle by goods vehicle. In order to implement the provisions of Rule 56, we are quoting it as follows, for its strict compliance:-

> "56. When cattle are to be transported by goods vehicle the following precautions are to be taken namely

(a) Specially fitted goods vehicles with a special type of tail board and padding around the sides should be used.

(b) Ordinary goods vehicles shall be provided with anti slipping material, such as coir matting or wooden board on the floor and the superstructure, if low, should be raised.

(c) no goods vehicle shall carry more than six cattle.

(d) each goods vehicle shall be provided with one attendant.

(e) While transporting the cattle, the goods vehicle shall not be loaded with any other merchandise; and

(f) to prevent cattle being frightened or injured, they should preferably, face the engine."

10. The Rajasthan State Cattle Fairs Act, 1963 provides for strict regulation of the State Cattle Fairs, which are held in the State of Rajasthan from time immemorial and are famous around the world. It provides for control of the State Cattle Fairs by the State Government, a number of Cattle Fairs and the area of 20 miles within which the cattle fairs can be held, appointment of a Fair Committee, levy of fair tax, power to impose toll and fees, exclusion of jurisdiction of local authorities, allotment of sites and the power to make Rules. Schedule-I to the Act of 1963 provides for 10 State Cattle

Fairs, which are held on the fixed dates according to Vikram Samvat (Hindu Calendar) and Schedule-II provides for rates of fair tax for the different categories of animals.

11. Sub section (5) of Section 7 of the Act of 1995 provides that a special permit can be issued by the Competent Authority in the prescribed manner for export of bovine animal from Rajasthan and before granting such permission the Competent Authority shall also ensure that such export in no way reduces the number of such bovine animal below the level of actual requirement of the local area. Sub-section (7) of Section 5 is quoted below:-

> "**5. Prohibition of export of bovine animal for the purpose of slaughter and regulation of temporary migration or export for other purposes……**
>
> (7) The Competent Authority may issue special permit in the prescribed manner for export of bovine animal from Rajasthan for agricultural or dairy farming purposes or for participation in a cattle fair, and before granting such permission the Competent Authority shall also ensure that such export in no way reduces the number of such bovine animal below the level of actual requirement of the local area."

12. The provisions of the Act of 1995 and the Rajasthan Cattle Fairs Act, 1963 have to be read together for allowing any cattle fair to be held and the maximum number of cattle to be sold in such fairs. The Rules also require strict

compliance and adherence of the provisions of the requirement of medical certificate as well as the declaration given by a person, who purchases the animal for taking it outside the State of Rajasthan and that the animal is being bought only for the purpose of use for agricultural. The information furnished by the various Panchayats under the RTI Act to the petitioner more than clearly demonstrates that in all the cases where the cattle fairs are held, the auction for collection of revenue (fees) is through contractors and the contractors are given authority for holding fairs and auctions. Having settled the auction, no further supervision is made by the State authorities and that it is not ensured whether more than sufficient number of cattle have been sold in the cattle fairs, medical certificates are accompanied and requisite information has been obtained from the purchasers.

13. The need of animals meat in Bangladesh and opening of meat processing has raised a demand of cattle to be exported outside the Rajasthan and thus, there is a need to ensure strict enforcement of the aforesaid Acts and the Rules.

14. We hereby direct that no cattle fair will be held unless and until the State Government is satisfied regarding the need of the cattle in a particular area and the maximum number of cattle which can be sold in a particular cattle fair. This will also apply to all categories of animals including bovine cattle. We also direct that the organization of the cattle fairs will be

controlled and regulated by the State Government through the Sub-Divisional-Officer, who is notified Cattle Officer or the Panchayats, who have direct control. They will not be subservient to the contractors. The Panchayats will continue to control the cattle fairs and for protection and welfare of the cattle including bovine animals, it will be open for them to make complaints, if any contractor or person violates the provisions of the aforesaid Acts and the Rules.

15 We also direct in continuation to the provisions of the aforesaid Acts and the Rules that no cattle will be allowed to be transported unless the sale is accompanied with the medical certificate of cattle and cattle is marked. We further direct that every affidavit given when the cattle is purchased will also be accompanied with sufficient proof of the agricultural holdings of that person in the State of Rajasthan or any other State where he permanently resides. He will also have to bring a certificate from the District Collector that such person is not running slaughter house or not agent of any slaughter house. The Rules with regard to transportation of cattle will be strictly enforced and complied with. Each movement of the cattle will be accompanied with medical certificate and will comply with the conditions of the movement. In no case, animals will be over crowded in any vehicle whether the transport vehicle or goods vehicle or railway wagon.

16. The State Government shall strictly enforce and carry out the provisions of the Transport of Animals Rules, 1978. It will also lay down guidelines for transportation of cattle and ensure strict compliance of Rule 56 of the Rules of 1978.

17. For effective regulations, we sum up the directions as follows:-

(A) The State Government will establish "Animal Welfare Organization" registered under the Societies Registration Act of 1860 or any other corresponding law in every district of the State, under Rule 3 of the Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rules, 2001. The "Animal Welfare Organization" will be established in each district within three months. If any Society is functioning in any district, it shall continue to discharge its functions until the establishment of Society for prevention of cruelty to animals in that district.

(B) Until the establishment of the Society for prevention of cruelty to animals, any activist with bonafide credentials, working for prevention of cruelty to animals, will be registered by the District Magistrate for carrying out the functions of the Society for prevention of cruelty to animals. The petitioner will be registered as activist by the District Magistrate in District Churu for the

said purpose.

(C) It will be open to the Society and the activists to intervene in the prosecutions under the aforesaid Acts and to assist the Court.

(D) The provisions of the Transport of Animals Rules, 1978 will be advertised by the State Government in the daily newspapers every month for the first year, giving the statutory guidelines in Rule 56 of the Rules of 1978.

(E) The Competent Authority under the Rajasthan State Cattle Fairs Act, 1963 will carry out the survey to ensure that the export of animal bought in the cattle fairs in no way reduces the number of bovine animal below the level of actual requirement of the local area. This survey under sub-section 7 of Section 5 of the Act of 1995 will be carried out atleast a month before every cattle fair and will be notified in the daily newspapers. The advertisement will also carry out the details of the maximum number of animals which can be sold and bought in the cattle fair.

(F) The auction for collection of fees in the cattle fair will not authorize the contractor to run and supervise the cattle fair. The supervision of the cattle fair will be in the local Panchayat.

(G) The contractor, with whom the collection of revenue will be settled, will have to produce a certificate of the

Collector of the district in which he resides that he is not engaged in slaughter of animals in any manner, nor is agent of any slaughter house.

(H) Each animal sold in the cattle fair will require a medical certificate and marking on the animal before removing it. The purchaser in addition to the affidavit will in order to show that he is not buying the animal for slaughtering, but for agricultural purposes, enclose revenue records of his agricultural holding in proof of his claim.

(I) The transportation of cattle will be permitted only when the sale is coupled with medical certificate and marking on the animal and strictly in accordance with the provisions of the Transport of Animals Rules, 1978.

(J) A Cell will be formed in the Animal Husbandry Department of the State to supervise the regulations and for compliance of the directions of this Court. It will submit a report in every two months alongwith the details and statistics of the compliance.

18. Let this matter be listed again on 8th July, 2015.

(BANWARI LAL SHARMA),J. **(SUNIL AMBWANI),CJ.**

<u>Parmar</u>

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान

जोधपुर

डी.बी. सिविल रिट पिटीशन (पीआईएल) सं. : 2009/2015

याचीः

गौ रक्षा दल सेवा समिति राजस्थान द्वारा महासचिव प्रदीप सिंह राठौड़ पुत्र श्री मातु सिंह राठौड़ उम्र 30 वर्ष निवासी गॉव मानपुरा, तहसील राजगढ, जिला चुरू, राजस्थान

बनाम

अयाचीः

1. राजस्थान राज्य द्वारा मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, शहरीय विकास एवं आवासीय विभाग राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
6. सचिव, यातायात विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
7. सचिव विभाग पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य, औद्योगिक मंत्रालय भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली–110001
8. पुलिस निदेशक, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
9. महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिमी रेल्वे, जवाहर सर्कल के पास, जयपुर।

जनहित याचिका अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय नियम, 1952 एवं नियम 385 ए एवं अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान

एवं

राजस्थान गौजातीय पशु (निषिद्ध और अस्थायी प्रवास या निर्यात) अधिनियम 1995

एवं

पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम 1960

एवं

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996

एवं

पशुओ का परिवहन नियम 1978

एवं

राजस्थान राज्य पशु मेला अधिनियम 1963

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान

जोधपुर

डी.बी. सिविल रिट पिटीशन (पीआईएल) सं. : 2009/2015

गौ रक्षा दल सेवा समिति राजस्थान बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य

आदेश दिनांक 4.5.15

उपस्थित

<u>माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री सुनील अम्बवानी</u>

<u>माननीय न्यायाधीश श्री बनवारी लाल शर्मा</u>

श्री कुलदीप माथुर)

श्री लोकेश माथुर) – याची के लिए

डा0 पी.एस. भाटी, अति.महाधिवक्ता)

डा0 कमल दवे   ) – अयाची के लिए

<u>आदेश</u>

रिपोर्टेबल द्वारा न्यायालय माननीय सुनील अम्बवानी, मुख्य न्यायाधीश

1. हमने याची और अयाची के अधिवक्ताओं को सुना।
2. प्रस्तुत वाद गौ रक्षा दल सेवा समिति राजस्थान के महासचिव श्री प्रदीप सिंह राठौड द्वारा लगाया गया, इस वाद के द्वारा **पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम 1960** के प्रावधानों को लागु कराना था और सबसे महत्वपूर्ण **पशुओं का परिवहन नियम 1978** (अब से अधिनियम 1978), **राजस्थान गौ जातीय पशु (निषिद्ध और अस्थायी प्रवास या निर्यात) अधिनियम 1995** (अबसे अधिनियम 1995) और राजस्थान राज्य पशु मेलों अधिनियम 1963 (अबसे अधिनियम 1963) इसके बाद आया।
3. याची ने न्यायालय से इस प्रकार की प्रार्थनाएँ की है।

(10) दस राहतो की मांग उच्च न्यायालय में की गई

अ) एक उपयुक्त रिट आदेश या दिशा द्वारा प्रतिवादी कोई गौ जातीय पशु विनियम नही है निष्पक्ष जो किसी भी पशु को बेचा या खरीद रहा है। यह सुनिश्चित करें जो कि राजस्थान राज्य पशु मेला अधिनियम 1963 और राजस्थान राज्य पशु नियम 1963 में हो।

(ब) प्रतिवादी को किसी भी प्रकार का पशु मेला लगाने से पूरी तरह निषिद्ध किया जाए जो कि राजस्थान 1963 के प्रावधानों में सम्मिलित या नियमित नही है।

(स) प्रतिवादी को यह निर्देश दिया जाता है कि वे उचित कदम उठाते हुए सीमा पर स्पेशल टास्क फोर्स तैनात करे, ताकि किसी भी प्रकार की गौ जातीय की तस्करी खानाबदोश जनजाति द्वारा नही कि जा सकें।

(द) प्रतिवादी को दिशा निर्देश दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति गौ जातीय पशुओं की खरीदने का हकदार नही होगा, जो एक कृषक के मापदंडो को पूरा ना करता हो, इस तरह के पहचान के लिए दिशा–निर्देश तैयार किए जाने चाहिए।

(य) प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है चाहिए की वे ऐसे दिशा निर्देश तैयार करे जो कि ग्राम रक्षा दल और कंजी घर कि स्थापना के लिए हो, जिनका प्रावधान राजस्थान पंचायती नियम 1996 में है।

(र) प्रतिवादी निर्देश दिया जाता है कि वे उचित कदम उठाए ताकी नई संस्थाओं का निर्माण किया जा सके, ऐसी सोसायटी पशुओं के प्रति हो रही क्रुरता को रोक सके, सोसायटी की स्थापना और विनियमन जानवरों के प्रति क्रुरता की रोकथाम के लिए नियम 2001

(व) प्रतिवादी निर्देश दिया जाता है ,कि कुछ संशोधन किया जाए राजस्थान गौ जातिय पशु अधिनियम 1995 व पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम 1960
(स) यदि और कोई राहत जो न्यायालय को उचित लगती है दी जाये।

4. याची को जो भी अभिलेख प्राप्त हुए है, विभिन्न ग्राम पंचायतों से या सुचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया हमारे सामने स्थापित किए गये, वादी द्वारा यह कहा गया कि राज्य सरकार इन अधिनियमों का पालन नही कर रही है, जो कि पशुओं कि सुरक्षा के लिये है और गौ जातीय पशुओं के लिए भी उपयोगी और अनुपयोगी गौ जातीय पशुओं के लिए जो कि राज्य से बाहर ले जाए जा रहे है, चाहे कृषि के लिये या वध के लिए, बिना किसी प्रभावी विनियम

5. प्रथम निर्देश जो वादी चाहते है, वह है कि अधिनियम 1995 के प्रावधानों को लागु कराना, जो कि गौ जातीय पशुओं के वध को निषिद्ध करता है, यह अधिनियम गौ मास या उससे बने उत्पादों की बिक्री या निर्यात करने को भी निषिद्ध करता है, यह अधिनियम गौ जातीय पशुओं के निर्यात को भी निषिद्ध करता है वध के लिए बेची या खरीदी जाती है।

6. पशुओं के प्रति हो रही क्रुरता, सोसायटी की स्थापना और विनियम करना जो कि पशुओं के प्रति हो रही क्रुरता की रोकथाम के लिए नियम 2001(अब से अधिनियम

2001), सभी पशु कल्याण संगठन जो कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत आती है नियम 2001 के नियम 3 के तहत, हर राज्य सरकार को एक सोसायटी, स्थापित करने की आवश्यकता है जितना जलदी हो सके यह कार्य छः महिने के अन्दर उस दिनांकसे होना चाहिये जब यह नियम :– 26 मार्च 2001 हर जिले के लिये एक सोसायटी एसपीसीए के अन्तर्गत होनी चाहिये जो पशुओं पर हो रही क्रुरता को रोकने के लिये कार्य कर रही हो, एसी सोसायटी जो पहले से कार्य कर रही हो उनको न रोका जाय तथा एसपीसीए के अन्तर्गत कार्य करने देना चाहिये । एसी सोसायटी राज्य सरकार के मदद व निरिक्षण करने में सहायक हो सकती है। यह सोसायटी पशुओ पर हो रही क्रुरता से संबंधित जो प्रावधान हे उनको लागु करवाने के लिये बल दे सकती हे। अधिनियम **पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम 1960 और पशुओ का परिवहन नियम 1978**

7. हमे यह सूचित किया गया है कि राज्य सरकार पूरी तरह से गलती पर है क्योंकि राज्य सरकार ने नियम 3 के तहत कोई भी सोसायट नही बनाई है। जो पशुओं पर हो रहे अत्याचार की रोकथाम कर सकें।

8. हम राज्य सरकार को यह निर्देश देते है कि नियम 3 के तहत हर जिले में 3 महिने के भीतर सोसायटी बनवाई जाए। याची या कोई और कार्यकर्ता जो कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पहचान किया गया हो, उस जिले में पशुओं के प्रति हो रही क्रुरता से बचाने के लिए कार्य करेगा, ऐसे कार्यकर्ता जिला मजिस्ट्रेट की मदद करेंगे। इन प्रावधानो को लागु करवाने के लिए वादी ने न्यायालय में पर्याप्त सामग्री व डेटा उपलब्ध करवाया है जिसका अवलोकन करने के बाद संदेह को कोई कारण नही होता, यह जिला चुरू में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पंजीबद्ध किया जाना चाहिये और सभी कार्यकर्ताओं को उनका कार्य करने देना चाहिये जो कि पशओुं के हित में रहेगा, यह कार्य एक सप्ताह के भीत होना चाहिये।

9. हम राज्य सरकार को यह पशुओं के परिवहन के संदर्भ में यह निर्देश देते **है की** वे 1978 के नियमों की पालना करे, इन नियमों के अंतर्गत पशु का वनज किलो ग्राम में और उनके द्वारा कितनी जगह ली जाएगी अगर वे रेल्वे गाड़ी से भिजवाये जाये। 1978 के नियम 56 में मवेशियों की तुलाई से संबंधित है, इस नियम को लागु करने के लिए न्यायालय द्वारा नियम 56 निचे लिखा जा रहे है।

नियम 56 अगर कोई भी मवेशी राज्य से बाहर भेजा जा रहा हो तो इन बातो का विशेष ध्यान रखा जाये।

अ विशेष तरह की गाडी का उपयोग किया जायें।

ब अगर कोई दुसार या सामान्य तरह का साधन उपयोग में लाया जा रहा है तो उसमें पूरी तरह की सुविधायें दी जायेगी, जैसे क फिसल रहित सामग्री, कॉयर व चटाई, लकड़ी की तकती, फर्श के उपर लगवायी जावें।

स 6 से अधिक मवेशियों को नहीं ले जाना है।

द हर एक वाहन के साथ एक परिचर को रहना आवश्यक है।

य जब मवेशियों को ले जाया जा रहा हो, तब और किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं रखी जाए।

र किसी भी मवेशीयों को ना लगे या वे डरे नही इसके लिए सब मवेशियों का मुह ईन्जन की तरफ होना चाहिये।

10. राजस्थान राज्य पशु मेला अधिनियम 1963 के प्रावधानों या नियमो में बड़ा कठोर प्रावधान है, जो कि राजस्थान राज्य के अलावा पुरे देश में प्रसिद्ध है। इन नियमों के अनुसार राज्य को पशु मेलो के लिये 20 मील की जगह उपलब्ध करवानी चाहिये। जिसमें पशु मेला आयोजित किया जा सके। मेले के आयोजन के लिये एक समिति गठित की जानी चाहिये। इस समिति को विभिन्न शक्तियॉ प्रदान है, जैसे कि उचित कर की वसूली टोल और फीस अधोरोपित करना, स्थानीय अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र का बहिष्कार करना, साइटो का आवंटन व नियम बनाने की शक्ति। अधिनियम 1963 के शेड्यूल प्रथम में यह प्रावधान है कि दस राज्य पशु मेले एक ही समय पर आयोजित किये जायेंगे। विक्रम संवत् (हिन्दू कलण्डर) और शेड्यूल द्वितीय में विभिन्न श्रेणी के पशुओं के लिये मेले कर की दरें उपलब्ध हैं।

11. अधिनियम 1995 की धारा 7(5) में यह प्रावधान है कि सक्षम अधिकारी द्वारा विशेष अनुमति दे सकेगा, जो कि गौ जातीय पशुओं के निर्यात से संबंधित है पर ऐसी अनुमति देने से पहले सक्षम अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करले की ऐसे निर्यात में गौ जातिय पशुओं कि संख्या जितनी स्थानीय क्षेत्र की मांग है, उससे कम नह होनी चाहिये। धारा 5 की उपधारा (7) निम्नाकिंत हैः

''5. ऐसे निर्यात जो कि गौजातिय पशुओं काा वध और अस्थायी प्रवास से संबंधित है,पर रोक लगाना।

(7) सक्षम अधिकारी विशेष अनुमति उन परिस्थितियों में दे सकता है, जहॉ गौ जातीय पशुओं को निर्यात राजस्थान राज्य से बाहर कृषि, डेयरी जैसे कार्यो के लिये उपयोग में लाया जाता हो और ऐसी अनुमति देने से पहले सक्षम अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करले की ऐसे निर्यात में गौ जातिय पशुओं कि संख्या जितनी स्थानीय क्षेत्र की मांग है, उससे कम नही होनी चाहिये।

12. अधिनियम 1995 के प्रावधानो एवं राजस्थान पशु मेला अधिनियम, 1963 के साथ पढा जा सकता है कि मेला का आयोजन किया जाएगा उसमें अधिकतम संख्या मे पशुओं को बेचा जायेगा। नियमों की भी कडाई से पालना की जावें और इन प्रावधानो के अंतर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिये व उस व्यक्ति द्वारा घोषणा की जानी चाहिये, जो पशु को खरीदकर कृषि के लिए ही राजस्थान राज्य से बाहर ले जा रहा है। सूचना के अधिकार के तहत विभिन्न पंचायतो से प्राप्त सूचना के आधार पर याची ने स्पष्ट किया कि सभी प्रकरण जिसमें पशु मेले आयोजित हो रहे है ठेकेदार द्वारा राजस्व संग्रहण करने के लिए और ठेकेदार द्वारा ही मेला व निलामी करते है और वादी द्वारा यह भी कहा गया कि राज्य सरकार इस बात का भी ध्यान नहीं रखती है कि ऐसे पशु मेलो में अधिक मात्रा में पशु बेचे जा रहे है और ना ही इस बात का ध्यान रखा जाता है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र दिया है या नही और खरीददार से किसी प्रकार की सूचना नही ली जाती है।

13. बंग्लादेश में पशु मास की आवश्यकता है इसलिए पशुओं का निर्यात राज्य से बाहर बढ गया है, इस कारण से भी प्रावधानो और नियमों को लागु कराना अति आवश्यक है।

14. राज्य सरकार को यह निर्देशित किया जाता है कि कोई भी पशु मेला आयोजित नही होगा, जब तक की राज्य सरकार यह सुनिश्चित नही कर देती कि किस क्षेत्र में कितने पशुओ की आवश्यकता है और अधिकतम कितने मवेशी या पशु एक समय पर एक पशु मेले में बेचे जा सकते है। यह सभी प्रकार के पशुओं एवं गौ जातीय पशुओ पर भी लागु होगा। यह भी निर्देश दिया जाता है कि राज्य सरकार उपखण्ड अधिकारी द्वारा पशु मेले पर पुरा नियंत्रण रखेगी, यह अधिकारी पशु अधिकारी या पंचायत जिसका प्रत्यक्ष नियंत्रण होगा। ठेकेदार को किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं दिया जायेगा। पंचायत को पुरा अधिकार होगा कि वह पशु मेलो, पशुओ व गौ जातीय पशुओ का ध्याना रख सकें और उनके हित के बारे में निर्णय ले सके। यदि कोई ठेकेदार या अन्य व्यक्ति किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाह की जा सकती है।

15. यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रावधानो के अनुसार किसी भी पशु या गौ जातीय पशु का निर्यात तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक की उसके साथ एक चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। यह भी निर्देशित किया जाता है कि किसी भी

व्यक्ति द्वारा पशु खरीदने पर एक शपथ पत्र देना आवश्यक है और इस शपथ पत्र में यह उल्लेख किया जाए कि पशु खरीदने वाला राजस्थान का निवासी है और उसका स्थायी पता भी राजस्थान या किसी अन्य राज्य का है और वह कृषि से संबंधित कार्य करता है। उसे जिला कलक्टर से भी यह शपथ पत्र लाना पडेगा कि उसका कोई भी वध गृह नही है और न ही वह किसी वध गृह से कोई संबंध रखता है। परिवहन के प्रावधानो का भी ध्यान रखा जाये। परिवहन के समय भी चिकित्सा प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा और किसी भी स्थिती में पशुओं को रेल के डब्बे में या किसी और साधन या वाहन में जरूरत से अधिक मात्रा में नहीं भरा जायेगा।

16. राज्य सरकार को पुरी तरह से यह हिदायत दी जाती है कि वे पशुओं के परिवहन के नियम 1978 की पालना करें और नियम 56, 1978 का ध्यान रखते हुए परिवहन के लिए रूपरेखा तैयार करें।

17. माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों को यहॉ फिर से लिखा जा रहा है ताकि इनको ध्यान से पढा व समझा जा सकें। यह नियम इस प्रकार से हैः–

अ. राज्य सरकार ''पशु कल्याण संगठन'' का निर्माण करेगी जो कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 और दुसरे प्रावधानो के अन्तर्गत हर जिले में होना चाहिये। नियम 3 के अन्तर्गत जो कि पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम है (पशुओं की क्रुरता की रोकथाम के लिये समिति की स्थापना) नियम 2001। राज्य के प्रत्येक जिले में पशु कल्याण संगठन की तीन महीने के भीतर स्थापना की जानी चाहिये और अगर ऐसी कोई सोसायटी पहले से कार्य कर रही है तो उसको निरन्तर अपना कार्य करने देना चाहिये जो कि पशुओं पर हो रहे क्रुरता के खिलाफ है।

ब. जब तक ऐसी सोसायटी की स्थापना नही हो जाती जो कि पशुओं पर हो रही क्रुरताओं की रोकथाम कर सकें तब तक कार्यकर्ता जो कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पंजीकृत है, को ऐसे कार्यो में सम्मिलित किया जाए जो एक सोसायटी द्वारा किया जाता है। वादी मजिस्ट्रेट द्वारा जिला चुरू के लिये पंजीकृत होगा।

स. यह सोसायटी और उसके कार्यकर्ताओं के लिये हमेशा खुला रहेगा कि वह न्यायालय की सहायता करें और प्रावधानों और इन अधिनियमों की पालना करवा सकें।

द. राज्य सरकारो को यह निर्देशित किया गया है कि वह हर महीने की प्रथम तारीख को दैनिक अखबारो में पशुओ के परिवहन नियम 1978 के प्रावधानो को प्रकाशित करे जिसमें वैधानिक रूपरेखा का उल्लेख हो सख्व्जो कि नियम 56 के अन्तर्गत है।

य. राजस्थान राज्य पशु मेला अधिनियम 1963 के अन्तर्गत जो सक्षम अधिकारी है उसको एक सर्वे करना अनिवार्य होगा और इस सर्वे में इस बात की पुष्टि करनी होगी

की जो पशु या गौ जातीय पशु मेले के लिये निर्यात किये गये है वो नियमित गौ जातिय पशुओं कि संख्या जितनी स्थानीय क्षेत्र की मांग है, उससे कम नही होनी चाहिये। अधिनियम 1995 की धारा धारा 5(7) के अन्तर्गत पशु मेले से कम से कम एक महीने पहले होना चाहिये और इस सर्वे का प्रकाशन दैनिक अखबारों में होना चाहिये। इस विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख किया जाना चाहिये कि कितनी संख्या में पशु खरीदे या बेचे जा सकते है।

र. जो निलामी पशु मेले की फीस प्राप्ति के लिये की जाती है वह ठेकेदारो को नही दिया जायेगा न ही ठेकेदार इसका सुपरविजन कर सकेंगे। पशु मेले का सुपरविजन सिर्फ स्थानीय पंचायत ही कर सकेगी।

ल. जिन ठेकेदारों के साथ राजस्व की वसूली का कार्य तय किया गया है उनको जिला कलक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह प्रमाणित किया जाये कि यह ठेकेदार किसी भी वध गृह को नही चलाता है और न ही ये कोई ऐसे वध गृह का ये एजेन्ट है।

व. प्रत्येक पशु जो कि पशु मेले में बेचा जायेगा उस पर एक निशान लगाया जाए और चिकित्सा प्रमाण पत्र भी दिया जाये। प्रत्येक खरीददार को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह जो भी पशु खरीद रहा है वह वध के लिये नहीं है परन्तु कृषि के लिये है। उसको अपने राजस्व रिकार्ड भी संकलन करने पडेंगे कि वह कृषि का कार्य करता है।

स. पशु का परिवहन तभी किया जायेगा जब कि उसके साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र दिया जाये और पशु पर चिन्ह् अंकित किया जाये। यह पशु परिवहन अधिनियम 1979 के प्रावधानो के अन्तर्गत होना चाहिये।

श. राज्य के पशुपालन विभाग में एक सेल का गठन किया जाये जो कि माननीय न्यायालय के इन निर्देशों का नियमित पर्यवेक्षण करे। यह सेल प्रत्येक दो माह में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें पालना का सांख्यिकी एवं सम्पूर्ण विवरण होगा।

18. यह प्रकरण पुनः 8 जुलाई, 2015 को सूचीबद्ध किया जाए।

(बनवारी लाल शर्मा)जे. **(सूनील अम्बवानी)सी.जे.**